



फर्द अहकाम

राधेश्याम वगै० बनाम तहसीलदार सांगानेर व अन्य

80/24

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.03.2024	<p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियों पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित खसरा नम्बरानु में कृषि हो रही है या नहीं इस रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी होकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 04.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	
4/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है।</p>	
	<p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/4/24 को पेश हों।</p>	
26/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है।</p>	
	<p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/5/24 को पेश हों।</p>	
16/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है।</p>	
	<p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हों।</p>	
7/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं वक्त अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवई जिस उम्मीद और से कोई भी उपस्थित नहीं रहे से प्रार्थी का साक्ष्य ठाम दर्जरी ठाम प्रार्थी में स्वयं से किया जाता है पत्रावली किसल अज्ञात होकर हमें से साक्ष्य बाद तकाल उपस्थित इच्छा है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	